तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / सीलिंग / 2002 / 7113 / नागौर** **गुमानाराम बनाम भंवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1
श्री ओ.एल. दवे, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

दिनांक : 23 दिसम्बर, 2021

निर्णय

1– यह अपील सीलिंग अन्तर्गत धारा–23(2) सीलिंग अधिनियम, 1973 के तहत न्यायालय अपर कलेक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 27–9–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम खाबडीयाना तहसील जायल में स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर–26, 81, 100,102, 127, 229, 231, 232, 246, 156, 355, 371 एवं 124/414 कुल रकबा 404 बीघा 1 बिस्वा का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार रेस्पो. संख्या–1 व 2 का पिता स्व. नाथूसिंह था। जिसमें से खसरा नम्बर–371 रकबा 66 बीघा 5 बिस्वा, 156 रकबा 63 बीघा 17 बिस्वा, 100 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर–355 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा को बहुमूल्य प्रतिफल देकर अपीलान्टगण गुमानाराम आदि ने सन् 1969 से पहले रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा खरीद की, तब से लेकर आज दिनांक तक उक्त खरीदशुदा भूमि पर अपीलान्टगण खातेदार की हैसियत से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त वर्णित भूमि खसरा भूमि रकबा 404 बीघा 1 बिस्वा बाबत पुराने सिलिंग अधिनियम के तहत असेसी खातेदार श्री नाथूसिंह के विरूद्ध सिलिंग कार्यवाही चली, जिसको विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 8–8–1972 के द्वारा ड्रोप कर दी। उक्त आदेश को राज्य सरकार ने धारा–15(2) अधिनियम 1973 के तहत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / सीलिंग / 2002 / 7113 / नागौर</u>** **गुमानाराम बनाम भंवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपने आदेश दिनांक 20–6–1980 के द्वारा रि–ओपन करके प्रकरण में पुनः सुनवाई एवं निर्णीत करने हेतु विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर (सिलिंग) नागौर को प्रेषित किया गया। विद्वान अपर कलेक्टर, नागौर ने भी बिना कोई जांच पड़ताल किये अपीलान्टगण की उक्त खरीदशुदा खातेदारी की भारयुक्त भूमि को अधिग्रहित किये जाने का निर्णय दिनांक 27–9–2002 को अपीलान्टगण की सुनवाई किये बिना पारित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 27–9–2002 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया गया कि उपरोक्त उनवानी अपील ठोस तथ्यों पर आधारित है एवं मुकदमे का सुविधा का संतुलन तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है। वाके ग्राम खाबडीयाना तहसील जायल में स्थित हाल भूमि खसरा नम्बर–100, 156, 355 एवं 371 अपीलान्टगण ने बहुमूल्य प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की है, तब से लेकर आज दिनांक तक उक्त भूमि के मौके पर अपीलान्टगण खातेदार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद विद्वान अपर कलेक्टर, नागौर ने अपीलान्टगण खातेदारान की सुनवाई किये बिना उनकी पीठ पीछे अपीलग्रस्त निर्णय दिनांक 27–9–2002 के द्वारा उक्त खरीददारी की भूमि को अधिग्रहण करने का आदेश दिया है, जिसका सीधा असर अपीलान्टगण के खातेदारी अधिकारों पर पड़ रहा है। जिससे अपीलान्टगण पीड़ित पक्षकार हैं एवं अपीलान्टगण को उक्त अपीलग्रस्त निर्णय को माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौति देने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अतः निवेदन है कि विद्वान अपर कलेक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–9–2002 के विरूद्ध उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने की अपीलान्टगण को इजाजत प्रदान किये जाने के आदेश फरमावे। 4– अपील के साथ एक और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / सीलिंग / 2002 / 7113 / नागौर** **गुमानाराम बनाम भंवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खाबडीयाना तहसील जायल में स्थित हाल भूमि खसरा नम्बर–100, 156, 355 एवं 371 अपीलान्टगण प्रार्थीगण की खरीदशुदा कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है, इसके बावजूद विद्वान अपर कलेक्टर, नागौर ने प्रार्थीगण खातेदारान की सुनवाई किये बिना उनकी पीठ पीछे प्राकृतिक सिद्धान्त के एकदम विपरीत निर्णय दिनांक 27–9–2002 को पारित किया है जिसके बाद पटवारी हल्का दिनांक 6–11–2002 को उक्त भूमि के मौके पर आया एवं प्रार्थी मंगलाराम से कहा की तुम्हारा खरीदशुदा खातेदारी की उक्त भूमि को राज्य सरकार के कब्जा में लेने का निर्णय अपर कलेक्टर, नागौर द्वारा पारित किया जा चुका है। इस कारण तुम्हारी उक्त जर्मीन को अधिग्रहण करेंगे। इसके बाद प्रार्थी भगवानाराम दिनांक 7–11–2002 को नागौर आया एवं अपीलग्रस्त निर्णय की जानकारी करके इसकी नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 8–11–2002 को लगाया, जिस पर सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 15–11–2002 को प्राप्त की, जिसका अवलोकन करने के बाद सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिससे अन्दर मियाद उक्त अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर उक्त अपील को मियाद बाहर पेश नहीं कर रहे हैं। अपितु देरीना समय प्रार्थीगण की अज्ञानता में व्यतीत हुआ है जो कि न्यायहित में माफ किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलग्रस्त निर्णय दिनांक 27–9–2002 की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 15–11–2002 को हुई जिससे अन्दर मियाद उपरोक्त अपील शुमान की जावे, देरीना समय को न्यायहित में माफ किया जाये। 5– बहस उभय पक्ष अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 तथा धारा–5 मियाद अधिनियम पर सुनी गयी। 6– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने धारा–96 सीपीसी पर कथन किया कि वाके ग्राम खाबडीयाना तहसील जायल में स्थित हाल भूमि खसरा नम्बर–100, 156, 355 एवं 371 अपीलान्टगण ने बहुमूल्य प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की है, तब से लेकर आज दिनांक तक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / सीलिंग / 2002 / 7113 / नागौर</u>** **गुमानाराम बनाम भंवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त भूमि के मौके पर अपीलान्टगण खातेदार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद विद्वान अपर कलेक्टर, नागौर ने अपीलान्टगण खातेदारान की सुनवाई किये बिना उनकी पीठ पीछे अपीलग्रस्त निर्णय दिनांक 27–9–2002 के द्वारा उक्त खरीददारी की भूमि को अधिग्रहण करने का आदेश दिया हैं इसलिये अपीलार्थीगण प्रभावित पक्षकार होने के कारण उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दी जाये। धारा–5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि वाके ग्राम खाबडीयाना तहसील जायल में स्थित हाल भूमि खसरा नम्बर–100, 156, 355 एवं 371 अपीलान्टगण प्रार्थीगण की खरीदशुदा कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है, इसके बावजूद विद्वान अपर कलेक्टर, नागौर ने प्रार्थीगण खातेदारान की सुनवाई किये बिना उनकी पीठ पीछे प्राकृतिक सिद्धान्त के एकदम विपरीत निर्णय दिनांक 27–9–2002 को पारित किया है जिसके बाद पटवारी हल्का दिनांक 6–11–2002 को उक्त भूमि के मौके पर आया एवं प्रार्थी मंगलाराम से कहा की तुम्हारा खरीदशुदा खातेदारी की उक्त भूमि को राज्य सरकार के कब्जा में लेने का निर्णय अपर कलेक्टर, नागौर द्वारा पारित किया जा चुका है। इस कारण तुम्हारी उक्त जमींन को अधिग्रहण करेंगे। इसके बाद प्रार्थी भगवानाराम दिनांक 7–11–2002 को नागौर आया एवं अपीलग्रस्त निर्णय की जानकारी करके इसकी नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 8–11–2002 को लगाया, जिस पर सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 15–11–2002 को प्राप्त की, जिसका अवलोकन करने के बाद सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिससे अन्दर मियाद उक्त अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर उक्त अपील को मियाद बाहर पेश नहीं कर रहे हैं। अपितु देरीना समय प्रार्थीगण की अज्ञानता में व्यतीत हुआ है जो कि न्यायहित में माफ किये जाने योग्य है। 7– उन्होंने अपील में बहस करते हुये कथन किया कि सिलिंग कार्यवाही में पारित मूल आदेश दिनांक 30–10–1985 एवं इसे विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील एवं रिट में पारित निर्णय क्रमशः 12–1–1989 एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / सीलिंग / 2002 / 7113 / नागौर</u>** **गुमानाराम बनाम भंवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4–9–1992 में दिये गये कानूनी निर्देशों के एकदम विपरीत जाकर रेस्पो. संख्या–1 भंवरसिंह ने वर्तमान में अपने खातेदारी में दर्ज कुल भूमि 240 बीघा 8 बिस्वा को छोड़ करके दुर्भावनावश (मैलाफाईट इन्टेन्शन) अपीलान्टगण द्वारा खरीद की गई भारयुक्त जमींन खसरा नम्बर–371, 156, 100 एवं 355 के बाबत ओप्शन प्रार्थना पत्र दिनांक 20–9–2002 को प्रस्तुत कर दिया, जबकि उक्त वर्णित भूमि कानूनन भारयुक्त भूमि होने के कारण की ही नहीं जा सकती है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को एकदम नजरअन्दाज करके प्रथम दृष्टया ही गैर कानूनी अपीलग्रस्त निर्णय दिनांक 27–9–2002 पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। आज भी असेसी खातेदार रेस्पो. संख्या–1 भंवरसिंह के खातेदारी में 240 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम खाबडीयाना तहसील जायल में दर्ज है। इसी कारण उक्त भाररहित भूमि में से ही रकबा 171.11 बीघा सरप्लस (अधिग्रहित) भूमि राज्य सरकार के खातेदारी में दर्ज करने का नामान्तरकरण संख्या–338 दिनांक 26–9–2002 को भरा गया है इसके बावजूद विद्वान अपर कलेक्टर, नागौर ने प्रथम दृष्टया ही गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहिन निर्णय दिनांक 27–9–2002 को पारित किया जो कि निरस्तनीय है। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :– 1– डीएनजे–2002(2) पेज–865 2– आरआरडी–1996 पेज–443 8– बहस का जवाब देते हुये अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने धारा–96 सीपीसी, धारा–5 मियाद अधिनियम व अपील में जवाब देते हुये हुये कथन किया कि विवादित भूमि का अपीलार्थी से कोई संबंध नहीं है इसलिये धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। यह अपील लगभग तीन माह के पश्चात प्रस्तुत की गयी है जो कि मियाद बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है। विवादित भूमि का अपीलार्थीगण से कोई संबंध नहीं है। सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण का निर्णय राजस्व मण्डल स्तर से हो चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रिट याचिका खारिज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / सीलिंग / 2002 / 7113 / नागौर</u>** **गुमानाराम बनाम भंवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) नागौर के निर्णय दिनांक 30–10–1985 अन्तिम निर्णय हो चुका है और उसी अनुसार कार्यवाही की गयी है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) नागौर का आक्षेपित निर्णय 27–9–2002 विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। अतः अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। 9– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया। 10– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम धारा–96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाना है। अपीलार्थीगण का यह कथन कि वे विवादित भूमि को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय किया गया था। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2055–58 के अनुसार खसरा नम्बर–156 रकबा 63 बीघा 17 बिस्वा पर गुमानाराम खातेदार अंकित है। इस प्रकार विवादित भूमि में अपीलार्थीगण का हित नजर आता है इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण को यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। 11– जहां तक धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–9–2002 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 24–12–2002 को प्रस्तुत की गयी है। इस तरह जो विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है वह बहुत अधिक विलम्ब से प्रस्तुत नहीं हुई। चूंकि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिये इस कारण संभवतः निर्णय की जानकारी उन्हें नहीं हुई। इसलिये यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस अपील को प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को शमित किया जाता है और अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / सीलिंग / 2002 / 7113 / नागौर</u>** **गुमानाराम बनाम भंवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12– जहां तक अपील के गुणावगुण पर निर्णय का प्रश्न है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) का निर्णय दिनांक 30–10–1985 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा निस्तारित होकर अन्तिम हो चुका है। अब उसमें कुछ भी कार्यवाही शेष नहीं बची है। जो सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है उसे कब्जेराज लेकर आगे की कार्यवाही की जानी है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर ने समस्त तथ्यों व कानूनी बिन्दुओं के मद्देनजर अपना निर्णय दिनांक 27–9–2002 पारित किया है, जो पूर्णतः विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत होने के कारण पोषणीय है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। 13– उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / सीलिंग / 2002 / 7113 / नागौर** **गुमानाराम बनाम भंवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए